(95)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक 850/एक/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 06.02.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 01/अपील/2015–16

———

असद जिलानी आत्मज श्री गुलाम अहमद जिलानी
आयु वयस्क, निवासी– ग्राम छिरारी मजरा,
खुदारामपुर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) ..... आवेदक

विरुद्ध

1. फैज अमान, वयस्क पुत्र परवेज अमान
2. फराज अमान, वयस्क पुत्र परवेज अमान
   निवासी– ग्राम छिरारी मजरा,
   खुदारामपुर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)
3. मध्यप्रदेश शासन
   द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा ..... अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव ।
अनावेदक कं0 1 एवं की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी ।

———

:: आदेश ::
(आज दिनांक 13-7-16 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्र. 1/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा इस आशय का शिकायती आवेदन कमिश्नर, भोपाल को प्रस्तुत किया गया कि ग्राम छिरारी मजरा के

कुल खसरा नम्बर 14 कुल रकबा 10.880 हेक्टेयर भूमि सीलिंग से अतिषेष घोषित की गई थी। इस भूमि का बंटन राजस्व प्रकरण क. 22/अ–90/बी–6/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 16.10.1989 को भुजबल सिंह, मुन्नी बाई, कल्याण सिंह व सावित्री बाई आदि को प्रीमियम राषि के फलस्वरूप किया गया था। उक्त भूमि को अनावेदक एवं अन्य लोगों ने कलेक्टर की अनुमति प्राप्त किए बिना विक्रय करदी है अतः पट्टे निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही की जाये । उक्त शिकायती आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया और अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी ने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया जिसके आधार पर कलेक्टर न्यायालय ने प्रकरण क. 212/बी–121/12–13 कायम किया जाकर अनावेदक क्र. 1 व 2 को कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जिसका संतोषजनक जवाब ना होने के कारण पट्टेधारियों के पट्टे निरस्त भूमि पूर्ववत रिकार्ड में शासकीय दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 22.09.2015 को पारित किये जिसके विरुद्ध अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को प्रस्तुत की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 06.02.2016 द्वारा स्वीकार की। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में उठाये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी के समक्ष शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था और उसके आवेदन के आधार पर ही प्रकरण में कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी द्वारा प्रारंभ की गई थी और जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया गया था। इस कारण उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नियमों के विपरीत है। प्रश्नाधीन भूमि अपात्र व्यक्तियों को आवंटित की गई थी और उनके द्वारा कलेक्टर की अनुमति के बगैर भूमि विक्रय की गई है। कलेक्टर का आदेश उचित है जिसे निरस्त कर अपर आयुक्त द्वारा गंभीर वैधानिक भूल की गई है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क के साथ लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त के न्यायालय में आवेदक पक्षकार नहीं था। आवेदक का उक्त भूमि में कोई भी हित नहीं है तथा वह व्यथित व्यक्ति भी नहीं है और पूर्णतः अक्षम व असंबंधित व्यक्ति है। इस प्रकार आवेदक हितबद्ध व्यक्ति नहीं है इस कारण उसे निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। 2008 आर.एन. 99 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह

सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि व्यक्ति निचले न्यायालय में पक्षकार नहीं – पुनरीक्षण फाईल नहीं कर सकता है। यही सिद्धान्त 1975 आर.एन. 67 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है। अनावेदक क. 1 एवं 2 द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी तथा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रथम अपील में दिनांक 06.02.2016 को आदेश पारित किया गया है उसके विरुद्ध निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। 2010 आर.एन. 409 में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि जो आदेश अपीलीय हो उसकी निगरानी नहीं होगी। धारा 50 (4) (क) म.प्र. भू–राजस्व संहिता में भी इस आशय के स्पष्ट प्रावधान हैं कि अपीलीय किसी आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण ग्राह्य योग्य नहीं है। इस संबंध में 1984 आर.एन. 326 में राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 50, परन्तुक (1) (क) अपील योग्य आदेश, पुनरीक्षण ग्राह्य नहीं। आवेदक ना तो हितबद्ध पक्षकार है और ना ही व्यथित व्यक्ति है। इस प्रकार उक्त न्याय दृष्टान्तों एवं धारा 50 (4) (क) म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 के अनुसार भी निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है। न्यायालय कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व मूल अभिलेख तलब नहीं किया गया है। उक्त भूमि सीलिंग से प्राप्त की गई अतिशेष भूमि थी, जो प्रीमियम लेकर वर्ष 1988–89 में धारा 35 म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा, 1960 के अंतर्गत भूमिस्वामी स्वत्व में भूमि आवंटित की गई थी। आवंटियों को प्रतिरक्षा में सुने जाने का अवसर दिये बगैर कलेक्टर, विदिश द्वारा लगभग 28 वर्ष उपरान्त पट्टे निरस्त करने का आदेश पारित किया गया था, वह विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से अपर आयुक्त द्वारा सही निरस्त किया गया है। धारा 36 म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा, 1960 के अंतर्गत धारा 35 के अधीन बांटी गई भूमि का अंतरण किये जाने की स्थिति में केवल ऐसी भूमि के संबंध में ना पटाई गई प्रब्याजी की राशि का उस पर प्रथम भार होगा और वह अंतरणग्रहिता से भूमि राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल करने योग्य होगी। इस प्रकार धारा 35 म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत आवंटित भूमि के अंतरण पर पट्टा निरस्त किये जाने का प्रावधान नहीं है।

अनावेदक क्र. 1 व 2 सद्भाविक क्रेता हैं तथा उनके द्वारा भूमिस्वामियों से वर्ष 2006–07 में मूल्यवान प्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की गई थी। जिस समय भूमि क्रय की गई थी उस समय विक्रेतागण का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी की हैसियत से